अनवान राजस्थान सरकार बनाम मोहनलाल व अन्य
वाद पत्र संख्या 131/2021

06.06.2025 पत्रावली पेश हुई। राज पैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी सम्पादित की जा चुकी है। प्रार्थीगण राजकुमारी पत्नी स्व0 मोहन लाल, वन्दना लुहारीवाल, पंकज अग्रवाल, करूण अग्रवाल पिसरान स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर तथा प्रार्थीगण सन्दीप अग्रवाल, ज्योति, सन्दीप अग्रवाल पिसरान स्व0 राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 4–बी–2, जवाहरनगर श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि उक्त अनवानी वाद में प्रतिवादी संख्या 01 मोहन लाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल का दिनांक 20.03.2021 को तथा प्रतिवादी संख्या 02 राधेश्याम पुत्र श्री नूरदयालमल जाति अग्रवाल का दिनांक 19.03.2014 को स्वर्गवास हो गया हैं। प्रतिवादी संख्या 01 मोहन लाल के वारिस निम्न प्रकार से है–

1.1 राजकुमारी पत्नी स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
1.2 वन्दना लुहारीवाल पुत्री स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
1.3 पंकज अग्रवाल पुत्र स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।
1.4 करूण अग्रवाल पुत्र स्व0 मोहन लाल जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 2–ए–13, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 राधेश्याम के वारिस निम्न प्रकार से है–

2.1 तारादेवी (फौत) पत्नी स्व0 राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 4–बी–2, जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
  2.1.1 सन्दीप अग्रवाल पुत्र स्व0 राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 4–बी–2, जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
  2.1.2 ज्योति पुत्री स्व0 राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 4–बी–2, जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
  2.1.3 रोहित अग्रवाल पुत्र स्व0 राधेश्याम जाति अग्रवाल साकिन म0 नं0 4–बी–2, जवाहरनगर श्रीगंगानगर।

उक्त अनवानी वाद में प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल तथा प्रतिवादी संख्या 02 राधेश्याम के स्वर्गवास होने से प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल तथा प्रतिवादी संख्या 02 राधेश्याम के स्थान पर प्रतिवादी मोहनलाल व राधेश्याम के वारिसान प्रार्थीगण को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अनवानी वाद में प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल तथा प्रतिवादी संख्या 02 राधेश्याम के स्थान पर उनके वारिसान प्रार्थीगण को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

जवाब बहस में वादी राज पैरोकार द्वारा कथन किये गये कि उक्त प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 01 का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 24.03.2021, कार्यालय नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रतिवादी संख्या 01 का वारिस सदस्य प्रमाण पत्र दिनांक 02.06.2021 तथा नगर

परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रतिवादी संख्या 02 का मृत्यु प्रमाण पत्र 28.03.2014, प्रतिवादी संख्या 02 राधेश्याम की पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 22.11.2016, कार्यालय नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रतिवादी संख्या 02 का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 22.08.2014 का अवलोकन किया गया। चूंकि राज पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति प्रकट की गई। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि 1.1 से 1.4 को तथा प्रतिवादी संख्या 02 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि 2.1.1 से 2.1.3 को पक्षकारान के रूप में संयोजित किया जाता है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र 177 आरटीए हेतु दिनांक 16.05.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested